झारखंड उच्च न्यायालय रांची

विविध याचिका संख्या 942/2021 में

------

1. सौभिक मज़ूमदार, पिता स्वर्गीय बीरेश मज़ूमदार उम्र लगभग 45 वर्ष जोनल हेड, वेस्ट 1, इंडसइंड बैंक लिमिटेड के रूप में कार्यरत 2- 57, रोड नंबर 17, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, डाकघर - मारोल, थाना- अंधेरी ईस्ट, जिला- मुंबई महाराष्ट्र, पिनकोड -400069 मंगलम पार्क में स्थायी निवासी, फ्लैट नंबर एवी 305 14 एचओ ची मिन्ह सरणी, डाकघर और थाना बेहाला, सर्कस एवेन्यू, जिला कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700034 वर्तमान में फ्लैट संख्या 204, दूसरी मंजिल, बिल्डिंग नंबर 16, म्हाडा, न्यू लिंक रोड, ओशियारा, डाकघर और थाना अंधेरी पश्चिम, जिला मुंबई, महाराष्ट्र- 400053 में रह रहे हैं, जोनल हेड, वेस्ट 1, इंडसइंड बैंक लिमिटेड के रूप में काम कर रहे हैं।

2. पार्थ प्रतिम धर उर्फ़ पार्थ धर पिता स्वर्गीय शशांक भूषण धर, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी मालती, फब्ताबाद, कठरीबारी, डाकघर राजपुर सोनारपुर थाना गरिया, जिला दक्षिण 24 परगना, राज्य पश्चिम बंगाल, आंचलिक प्रमुख के रूप में कार्यरत - बिजनेस बैंकिंग ग्रुप, इंडसइंड बैंक लिमिटेड साकेत टावर्स, 6 वीं मंजिल, 44, डाकघर पार्क स्ट्रीट, थाना - शेक्सपियर सरणी, जिला- कोलकाता- 700016, पश्चिम बंगाल

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड अपने कानूनी वकील के माध्यम से, मिर्जा कैसर इकबैल बेग का कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 14 ए, दूसरी मंजिल, सेक्टर 18, डाकघर और थाना उद्योग विहार, जिला- गुरुग्राम -122015, राज्य- हरियाणा में है।

... विरोधी पक्ष

के साथ

आपराधिक विविध याचिका संख्या 406/2021

सुमंत कठपालिया पिता यशपाल कठपालिया उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी हाउस नंबर बी 9, अंशल विला सतबारी डाकघर और थाना छतरपुर, जिला दक्षिण

दिल्ली, नई दिल्ली-110074 प्रबंध निदेशक और सीईओ, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय 8 वीं मंजिल, टॉवर- I, वन इंडियाबुल सेंटर, 841, एसबी मार्ग, डाकघर और थाना एलफिंस्टन रोड, जिला मुंबई - 400013, महाराष्ट्र। ...

प्रार्थी

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड अपने कानूनी वकील मिर्जा कैसर इकबैल बेग पिता के माध्यम से याचिकाकर्ता को पता नहीं है कि प्लॉट नंबर 14 ए, दूसरी मंजिल, संप्रदाय 18, डाकघर और थाना उद्योग विहार, गुरुग्राम -122015, हरियाणा में इसका कॉर्पोरेट कार्यालय है ... विरोधी पक्ष

के साथ

आपराधिक विवध याचिका संख्या 944/2021

उज्ज्वल प्रकाश पिता ओम प्रकाश अग्रवाल उम्र लगभग 31 वर्ष निवासी आईडीबीआई बैंक के पास, किरानी घाट, रिवरसाइड रोड, डाकघर, थाना और जिला गया, बिहार-823001 ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड अपने कानूनी वकील के माध्यम से, मिर्जा कैसर इकबैल बेग का कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 14 ए, दूसरी मंजिल, संप्रदाय 18, डाकघर और थाना उद्योग विहार, गुरुग्राम -122015, हरियाणा में है ... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री भरत कुमार, राज्य के

राज्य के लिए : सुश्री वंदना सिंह, सीनियर एससी

III

सुश्री नेहा पांडे, सीनियर एससी III के

एसी

विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए: श्री अमित कुमार, एडवोकेट

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2 ये सभी आपराधिक विविध याचिकाएं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 465, 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज चुटिया थाना कांड संख्या 09/2021 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने की प्रार्थना की गई है और उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी ,रांची की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील और सूचक /विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान आपराधिक विविध याचिका संख्या 942/2021 में दायर अंतरवर्ती आवेदन संख्या 1576/2024 और आपराधिक विविध याचिका संख्या 406/2021 में दायर अंतरवर्ती आवेदन संख्या 1575/2024 की ओर आकर्षित करते हैं, जो इंडसइंड बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नामक सूचनादाता कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों के अलग-अलग हलफनामों द्वारा समर्थित हैं और प्रस्तुत करते हैं कि उसमें यह उल्लेख किया गया है कि आपराधिक कार्यवाही

के लंबित रहने के दौरान, पक्षों के बीच गलतफहमी को शुभचिंतकों के हस्तक्षेप से अदालत से बाहर सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर दिया गया है और पक्षों द्वारा और उनके बीच हुए समझौते के मद्देनजर, सूचक/विपक्षी संख्या 2 बैंक और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और स्वेच्छा से किसी से प्रभावित हुए बिना उसको आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते है याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील और विरोधी पक्ष संख्या 2/सूचनादाता के विद्वान वकील द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है कि इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान विवाद बैंक गारंटी रद्द होने के कारण उत्पन्न हुआ है। उक्त बैंक गारंटी को बैंक के ग्राहक, मैसर्स एचटी इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, के अनुरोध पर रद्द कर दिया गया था।

हालांकि, उक्त बैंक गारंटी को ग्राहक के अनुरोध पर एफआईआर की तारीख को 20.01.2021 को बहाल कर दिया गया है और इसे सूचनादाता- कंपनी को सौंप दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि सावधि जमा और अचल संपत्ति के रूप में 100% संपार्श्विक सुरक्षा बैंक द्वारा अपने ग्राहक, एचटी इक्यूपमेंट से ली गई है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं की दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चुटिया डाकघर कांड संख्या 09/2021 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, रांची की अदालत में

लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और खारिच किया जाये

4. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पक्षकारों के बीच समझौते के मद्देनजर, राज्य को चुटिया थाना कांड संख्या 09/2021 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, रांची की अदालत में लंबित है।

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि **परबतभाई अहीर** उर्फ़

परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य

(2017) 9 एससीसी 641 **में रिपोर्ट किया गया,** इस मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पक्षकारो के बीच समझौते के आधार के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने का अवसर था

और पैराग्राफ संख्या 11 में निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

*"**11.** धारा 482 एक अधिभावी प्रावधान के साथ प्रस्तुत की गई है। क़ानून उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, एक उच्चतर न्यायालय के रूप में, ऐसे आदेश देने के लिए जो आवश्यक हैं (i) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के* उद्देश्यों *को सुरक्षित करने के लिए। ज्ञान सिंह [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303: (2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 1188: (2013) 1 एससीसी (सीआरआई) 160 (2012) 2 एससीसी (एल एंड एस) 988]में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर पूर्वोदाहरण के निकाय को विज्ञापित किया और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए जिन पर उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में विचार करना चाहिए कि क्या* अन्तर्निहित शक्ति *अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी प्राथमिकी या शिकायत को रद्द किया जाए। उच्च न्यायालय के साथ जिन विचारों का वजन होना चाहिए, वे हैं: (एससीसी पीपी 342-43, पैरा 61)*

"61. ... अपने अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए

आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को संयोजित करने के लिए एक आपराधिक अदालत को दी गई शक्ति से अलग और अलग है। अंतर्निहित शक्ति बिना किसी वैधानिक सीमा के व्यापक रूप से प्रफुल्लित होती है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या प्राथमिकी को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपना विवाद सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों के जघन्य और गंभीर अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो। इस तरह के अपराध प्रकृति में निजी नहीं हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध, आदि; ऐसे अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारी और मुख्य रूप से सिविल प्रकृति वाले आपराधिक मामले रद्द करने के प्रयोजनों के लिए एक अलग पायदान पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन या दहेज से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध, आदि या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पार्टियों ने अपने पूरे विवाद को हल कर लिया है. मामलों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता होने के कारण,

दोषसिद्धि की संभावना दूर और अंधकारमय है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूरा *निपटान और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित या न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना पीड़ित और गलत करने वाले के बीच समाधान और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना है, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त*

कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से होगा। (महत्त्व सन्निविष्ट)"

6. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध जघन्य अपराध नहीं हैं और न ही इस मामले में मानसिक भ्रष्टता का कोई गंभीर अपराध शामिल है, बल्कि इस मामले में शामिल अपराध पक्षों के बीच निजी विवाद से संबंधित हैं।

7. अपराधी और पीड़ितों के बीच पूर्ण निपटान के कारण, याचिकाकर्ताओं की दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले की निरंतरता याचिकाकर्ताओं को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डाल देगी और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूरा निपटान और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उनके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

8. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां चुटिया थाना कांड संख्या 09/2021 से सम्बंधित पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब न्यायिक दण्ड अधिकारी प्रथम श्रेणी रांची के न्यायलय में लंबित है, को याचिकाकर्ताओ द्वारा की गयी प्रार्थना के अनुसार रद्द कर दिया जाए और खारिच कर दिया जाए।

9. तदनुसार, चुटिया थाना कांड संख्या 09/2021से सम्बंधित पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब न्यायिक दण्ड अधिकारी प्रथम श्रेणी रांची के न्यायलय में लंबित है, को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रद्द कर दिया जाता है और खारिच किया जाता है।

4. परिणाम में, इन आपराधिक विविध याचिकाओ की अनुमति है।

5. तत्काल आपराधिक विविध याचिकाओं के निपटान के मद्देनजर, आपराधिक विविध याचिका संख्या 942/2021 में दाखिल अंतरवर्ती आवेदन संख्या 1576/2024 और

आपराधिक विविध याचिका संख्या 406/2021 में दाखिल अंतरवर्ती आवेदन संख्या 1575/2024 का एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च
न्यायालय, रांची दिनांक
21 फरवरी, 2024
एएफआर/

[यह अनुवाद शिववचन यादव , पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया]